प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 30 सितम्बर, 2020

विषय: राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कैप्टन अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 से 16 अक्टूबर, 2020 तक मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-214/ना0उ0नि0/आप्स-ए0के0/2016, दिनांक 02 सितम्बर, 2020 में किए गए प्रस्तावानुसार कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को निम्नलिखित तालिकानुसार राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 के सिमुलेटर पर मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में रिकरेन्ट ट्रेनिंग दी जानी है :-

क्र0 सं0	पायलट	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण शुल्क (रु0)
1	कैप्टन अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग)	09 अक्टूबर, 2020 से 16 अक्टूबर, 2020 तक	मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई	13,84,320/-

उक्त तालिकानुसार कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु मेसर्स सी0ए0 ई0, दुबई को कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में यू0एस0डॉलर 17304.00 रू0 80/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 13,84,320/- (रूपए तेरह लाख चौरासी हजार तीन सौ बीस मात्र) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 3,60,000/- (रूपए तीन लाख साठ हजार मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 17,44,320/- (रूपए सत्रह लाख चबालीस हजार तीन सौ बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी जानी है।

2- अतः श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2020-21 में कै0 अरूण कुमार, पायलट (फिक्स्ड विंग) को राजकीय वायुयान के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 से 16 अक्टूबर, 2020 तक मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी में अग्रिम शुल्क भुगतान के

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

आधार पर कराये जाने की स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 13,84,320/- (रूपए तेरह लाख चौरासी हजार तीन सौ बीस मात्र) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 3,60,000/- (रूपए तीन लाख साठ हजार मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 17,44,320/- (रूपए सत्रह लाख चबालीस हजार तीन सौ बीस मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

II. वित्तीय नियम संग्रह खंड- 5 भाग- 1 के प्रस्तर- 162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी / अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी जिम्मेदार होगा।

III. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत समस्त धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तान्कित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाएगा।

IV. पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधाएं अनुमन्य श्रेणी की स्वीकृत की जाएंगी।

V. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

VI. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 का होगा।

VII. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जाएगा।

VIII. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

IX. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा ।

X. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 म,ई, 2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

XI. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

3/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

4- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता आदि के भुगतान तत्समय के दर से करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है, तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-950/दस-2020 दिनांक: 30-09-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

8- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/ प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने / अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा ।

भवदीय,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 64/2020/1789(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार /इकोनॉमिक अफेयर्स, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।